हरियाणा सरकार

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

दिनांक 13 अगस्त, 2014

संख्या–एयो०–2014/14278– हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम 13), की धारा 54 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उनके यादी क्रमांक एयो०–2014/14278, दिनांक, 07.06.2014 द्वारा सूचित, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (भवन निर्माण) विनियम, 1979, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये विनियम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (भवन निर्माण) संशोधन विनियम, 2014 कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (भवन निर्माण) विनियम, 1979 जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त विनियम कहा गया है में क्रमांक 2 धारा 61 (पानी कोठरी), विषय "सैनेटरी पुर्जे" को निम्नलिखित से बदल दिया जायें:

"पानी कोठरी तंत्र का कोई हिस्सा सीधे पानी की आपूर्ति वितरण पाइप के साथ नहीं जोड़ा जाएगा । निस्तब्धता और पैन की सफाई के लिए टंकी में दोहरी नियंत्रण पद्धति को शामिल किया जाएगा अर्थात् एक से पूर्ण फ्लश व अन्य से आधे फ्लश की शुरुआत होगी । पुराने निर्माणों के मामले में 10/5 लीटर दोहरी फ्लश टंकी की अनुमति रहेगी चूंकि बोर का डिजाइन 6/3 लीटर क्षमता की दोहरी फ्लश टंकी के अनुकूल नहीं होगा । नये निर्माण के मामले में केवल 6/3 लीटर क्षमता की दोहरी फ्लश टंकी ही प्रदान की जाएगी । बहाव क्षमता व बहाव दर निम्नलिखित होनी चाहिए :

क पूर्ण फ्लश ——— 10 ± 0.5 लीटर 6 सेकंड के भीतर

6 ± 0.5 लीटर 6 सेकंड के भीतर

ख आधा फ्लश ——— 5 ± 0.5 लीटर 3 सेकंड के भीतर

3 ± 0.5 लीटर 3 सेकंड के भीतर

6/3 लीटर क्षमता की फ्लश टंकी का प्रयोग बराबर क्षमता के सेनेटरी उपकरणों के साथ किया जाएगा । दोहरे नियंत्रण का संचालन दो शीर्ष बटन, सामने की दो मठ/मठिया, दो संकिंद्रिक किंतु अलग मठ या किसी अन्य यंत्र जिसमें एक मठिया/मठ पूर्ण फ्लश चलाए व अन्य मठिया/मठ आधा फ्लश चलाए, द्वारा होना चाहिए। इस तरह प्रदान की गई टंकियों का अनुरूप इस प्रकार होना चाहिए:

प्लास्टिक फ्लशिंग टंकी ——— आई एस: 7231 :: 1994 (तारीख तक संशोधन के साथ)

गैर प्लास्टिक फ्लशिंग टंकी ——— आई एस: 774 :: 2004 (तारीख तक संशोधन के साथ)

हरियाणा के विभिन्न शहरी सम्पदाओं में हुडा भूखंडो पर सभी आवासीय, वाणिज्यिक एवं संस्थागत भवनों में प्लाट धारकों के लिए शौचालय में दोहरी /दो बटन या लीवर फ्लश प्रणाली प्रदान करना अनिवार्य होगा। साथ ही हरियाणा राज्य में सभी सरकारी भवनों व विभिन्न उपनिवेशवादियों/डेवलपर्स/लाइसेंस धारकों द्वारा विकसित की जा रही सभी कालोनियों (आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत प्रतिष्ठानों आदि) के शौचालयों में दोहरी/दो बटन या लीवर फ्लश प्रणाली प्रदान करना अनिवार्य होगा ।"

ए. के. सिंह,

मुख्य प्रशासक,

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,

पंचकूला।

HARYANA GOVERNMENT

HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY

Notification

The 13th August, 2014

No. Auth.-2014/14278.— In exercise of the powers conferred by Clause 54 (d) of Section 54 of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (Act 13 of 1977) and all other powers enabling him in this behalf, and with the previous approval of the State Government conveyed *vide* their memo No. Auth./2014/14278, dated the 7th June, 2014 Haryana Urban Development Authority hereby makes the following regulations further to amend the Haryana Urban Development Authority (Erection of Buildings) Regulations (with upto date amendments), 1979, namely:

1. These regulations may be called the Haryana Urban Development Authority (Erection of Buildings) Amendment-Regulations, 2014.

2. In the Haryana Urban Development Authority (Erection of Buildings) Regulation, 1979 (hereinafter called the said regulation), S. No. 2 under Clause 61 (Water Closet) under the Head "Sanitary Fittings" of HUDA-Erection of Buildings-Regulations (with upto date amendments)- 1979 may be replaced with the following:

"No part of the water closet apparatus shall be directly connected with water supply distribution pipe. For flushing and cleaning of the pan, the cistern shall incorporate a dual control method of operation, that is, one initiating a full flush and the other initiating a half flush. In case of old constructions, the design of bore may not suit 6/3 litres dual flush cistern, as such, 10/5 litres dual flush cistern is allowed in old constructions. In case of new construction, dual flush cistern of 6/3 litres capacity shall only be provided. The discharge capacity and discharge rate shall be as follows:

(a) Full Flush .... 10 ± 0.5 litres within 6 seconds

6 ± 0.5 litres within 6 seconds

(b) Half Flush .... 5 ± 0.5 litres within 3 seconds

3 ± 0.5 litres within 3 seconds

The flushing cisterns of 6/3 litres capacity shall be used with sanitary appliances of equivalent capacity. Dual control may be operated by two top buttons, two handles/knobs on the front side, two concentric but separate handles or any other device in which one knob/handle actuates the full flush and the other knob/handle actuates the half flush. The cisterns so provided should conform to:

Plastic Flushing cisterns .... IS:7231::1994 (with upto date amendments)

Other than plastic flushing cisterns .... IS:774::2004 (with upto date amendments)

It shall be mandatory for plot holders to provide dual/two buttons or lever flush system in toilets in all residential, commercial and institutional buildings on HUDA plots in various Urban Estates of Haryana. Also it shall be mandatory to provide dual/two button or lever flush system in toilets in all Government buildings and in toilets of all the colonies (residential, commercial, institutional establishments etc.) being developed by various colonizers/developers/licencees in the State of Haryana."

A. K. SINGH,
Chief Administrator,
Haryana Urban Development Authority,
Panchkula.